

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.एस.

प्रकरण संख्या:-16/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कवायर-मान सरोवर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी कृष्ण कुमार पुत्र श्री भवरलाल शाखा प्रभारी, हनुमानगढ़।

— प्रार्थी

### विरुद्ध

- 1 जसवीर कौर पत्नी श्री तेग सिंह निवासी वार्ड न-20 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 जगदेव सिंह पुत्र श्री नंद सिंह निवासी वार्ड न-20 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 गुरतेज सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह निवासी वार्ड न-20 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 निर्मल सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह निवासी वार्ड न-20 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी / ऋणी

—अप्रार्थीगण / सहऋणी

—गारन्टीदाता



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आरतियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

सत्यमेव जयते  
आदेश

दिनांक -14/05/2022

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कवायर मानसरोवर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी कृष्ण कुमार पुत्र श्री भवरलाल शाखा प्रभारी, हनुमानगढ़ की ओर श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड प्रार्थी की एक वित्तीय कम्पनी है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कवायर मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी हाऊसिंग फाईनेन्स के व्यवसाय में कार्यरत है तथा नेशनल हाऊसिंग बैंक अधिनियम 1986 के निर्धारित मानदण्डों से अधिशासित है। प्रार्थी कम्पनी आवासीय गृहों की खरीद, निर्माण एवं गृहों के विस्तार से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त सुविधा प्रदान करती है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 ने प्रार्थी कम्पनी से दिनांक 13/01/2017 को राशि 12,00,000 रुपये (अठारह लाख रुपये) का ऋण जरिये बैंक प्राप्त किया था। अप्रार्थीगण ने आवश्यकतानुसार व विधि द्वारा अपेक्षित ऋण दस्तावेज प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज व खर्च के पुनः मुमत्तान सिक्वोरिटरी के पेटे अपने स्वामित्व की अवल सम्पत्ति निर्मित आवासीय भूखण्ड साईज 2280 वर्ग मीटर तक 6 जीजीआर फ्लोर नं. 204/284 (32) क्लिफ नं 5/2/0228 माय पत्रागत टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में सांघिक काफ किया।

W

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने ऋण करार के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 06.12.2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त ऋणियों के ऋण खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया।

प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 14.12.2021 को धारा 13(2) सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 15.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर ऋण राशि 14,44,800 रुपये का भुगतान 60 दिवस में करने हेतु सूचित किया व यह नोटिस सूचना दैनिक नवज्योति अखबार व इण्डियन एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 16.12.2021 को प्रकाशित भी करवाया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के उक्त ऋण में दिनांक 13.12.2021 तक कुल ऋण राशि 14,44,800 रुपये अतिदेय ब्याज, खर्च व लागत आदि मदों में बढ़ाया है जिसका भुगतान करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जिम्मेवार है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश क्रम्भाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना तथा 2 अखबारों में मांग सूचना प्रकाशित करवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास रकीर अचल सम्पत्ति निर्मित आवासीय मूखण्ड सार्ईज 2280 वर्ग मीटर चक 6 जीजीओर परथर नं. बंधक अचल सम्पत्ति निर्मित आवासीय मूखण्ड सार्ईज 2280 वर्ग मीटर चक 6 जीजीओर परथर नं. 204/284 (32) किला नं. 5/2/0228, ग्राम पंचायत टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

जुद्ध आदेश दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़ जिला,  
जयपुर